प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 11 फरवरी, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अशोक पुत्र श्री छोटे लाल शर्मा, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-36860/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-19.11.2024, दिनांक 05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी अशोक पुत्र श्री छोटे लाल शर्मा, शेखपुर, गढवा, थाना-खानपुर, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी द्वारा प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर पूर्व में हुई हत्या के बदले की भावना से दिनांक 26.03.2000 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-884/2000 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-04, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 29.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.09.2013 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.09.2015 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनाक 03.10.2024 तक अपरिहार 24 वर्ष 06 माह 05 दिन तथा सपरिहार 31 वर्ष, 04 माह, 05 दिन की सजा की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जेल रिपोर्ट दिनांक 03.10.2024 के अनुसार बन्दी की स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (03 व्यक्तियों की हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अशोक (बन्दी संख्या-01/17) पुत्र श्री छोटे लाल शर्मा, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-107/2025/2082(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज को किमिनल मिस० रिट याचिका नं0-10020/2024 शिव कुमार शर्मा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य और 06 अन्य अन्तर्गत अवमाननावाद सं0-6871/2024 शिव कुमार शर्मा व अन्य बनाम अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2024 के संदर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।